

24/3/21

पत्रावली प्रस्तुत। मूल वाद का निस्तारण होने के कारण शा. पत्र 212 RTA अनिव्यहीन है अतः शा. पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर न. से कम हो।

